न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 05 / 2017

प्रार्थी– *बनाम* **अप्रार्थीगण–**

भींयाराम पुत्र रावताराम जाति सोनी निवासी निम्बलकोट तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

1. ग्राम पंचायत निम्बलकोट जरिये सरपंच
2. दुर्गाराम पुत्र भोपाराम जाति जाट निवासी सडेचा (निम्बलकोट) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा विक्रय विलेख संख्या शुन्य दिनांक 31.05.1987 जो ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री अम्बालाल जोशी, श्री कुमार कौशल जोशी अधिवक्तागण प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री लाधूराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 08 / 01 / 2020

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत निम्बलकोट की ओर से अप्रार्थी दुर्गाराम पुत्र भोपाराम जाति जाट निवासी सडेचा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या शुन्य दिनांक 31.05.1987 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा अप्रार्थी सं. 2 दुर्गाराम पुत्र भोपाराम जाति जाट निवासी सडेचा के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1953 के अन्तर्गत आबादी भूमि का निलामी द्वारा बेची जाने पर आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 31.05.1987 जारी किया गया। इस भूखण्ड का

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 7500 वर्गफुट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा उक्त पट्टा जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत निम्बलकोट का प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से उपस्थिति अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत एवं अप्रार्थी सं. 2 दुर्गाराम ने दुर्भिसंधि कर षडयन्त्र पूर्वक पेशीदा तरीके से बिना पत्रावली कायम किये विवादित पट्टा निलामी में बेचे जाने के आधार पर बिना क्रमांक अंकित किये दिनांक 31.05.2017 को 100 गुणा 75 फुट भूमि का जारी करवाया गया हैं। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त भूखण्ड की न तो निलामी की गई और न ही अप्रार्थी सं. 2 द्वारा कोई बोली लगाई गई हैं, बल्कि विवादित पट्टे की भूमि पूर्व में वर्ष 1971 में पट्टा सं. 6 व 7 क्रमशः पारसमल व मीठालाल के स्वामित्व एवं आधिपत्य में उक्त जमीन रही है तथा कालान्तर में उक्त पट्टाधारियों द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 19.07.2006 पट्टा सं. 6 की भूमि का विक्रय किया है, तब से प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में हैं। ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौके पर कब्जे एवं स्वामित्व की स्थिति की जानकारी के पूर्व में जारी पट्टा सं. 6 की भूमि पर दुबारा आलौच्य पट्टा जारी कर दिया गया हैं। आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने के समय अप्रार्थी सं. 2 का सगा भाई हिमथाराम ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर पदासीन था जिसने अपने भाई को अनुचित लाभ प्रदान करने हेतु बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विधि विरूद्ध पट्टा जारी कर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दिया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय से उक्त पट्टा से सम्बन्धित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई, जिस पर पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही होना पत्र दिनांक 08.03.2017 द्वारा सूचित किया गया। इस आधार पर प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा दिनांक 31.05.1987 निरस्त फरमाया जावें।

5. अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी गांव की गुटबाजी मे अप्रार्थी से द्वेषभाव रखता हैं तथा काल्पनिक आधारों एवं तथ्यों पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जो खारिज योग्य हैं। अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा की भूमि पारसमल व मीठालाल के पट्टा सं. 6 व 7 की भूमि नहीं रही हैं तथा न ही इस भूमि पर कभी पारसमल व मीठालाल का कब्जा व स्वामित्व रहा हैं। ग्राम पंचायत निम्बलकोट द्वारा आलौच्य पट्टा नियमानुसार कार्यवाही के द्वारा जारी किया गया हैं जिसका समस्त रेकर्ड ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इस न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर पंचायत का बैठक कार्यवाही रजिस्टर एवं शुल्क रसीद बुक जमा कराई गई हैं। प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा के बारे में प्रारम्भ से ही जानकारी थी तथा इस पट्टे के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.12.2016 को तत्कालीन जिला कलक्टर बाड़मेर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निरस्त करने का निवेदन किया गया था, इसके बावजूद भी इस निगरानी प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह किये जाने का प्रयास किया जा रहा हैं। अप्रार्थी द्वारा आलौच्य पट्टा ग्राम पंचायत की भूमि निलामी कार्यवाही में बोली लगाकर नियमानुसार क्रय किया हैं तथा आदिनांक शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग कर रहा हैं। प्रार्थी द्वारा आलौच्य पट्टा जारी होने के करीब 17 वर्ष बाद यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जो मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया हैं कि आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में कोई अभिलेख पत्रावली कायम नहीं है तथा आलौच्य पट्टा फर्जी एवं षडयंत्रपूर्वक जारी किया गया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत निम्बलकोट से रेकर्ड तलब किये जाने पर ग्राम पंचायत का बैठक कार्यवाही रजिस्टर एवं शुल्क जमा करने की रसीद बुक प्रस्तुत की गई हैं। ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्तुत किये गये उक्त बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 31.05.1987 की कार्यवाही आलौच्य पट्टा जारी होने का संकल्प सं. 2 उल्लेखित हैं। इसके अलावा प्रार्थी का यह कथन हैं कि अप्रार्थी को जारी पट्टे की भूमि प्रार्थी के आधिपत्य की भूमि जो वर्ष 1971 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे के अन्तर्गत आती हैं। इस संबंध में अप्रार्थी का कथन हैं कि ग्राम पंचायत अपने स्वामित्व की खुली जमीन का सार्वजनिक निलामी द्वारा विक्रय किया गया है तथा प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर पुनः नया पट्टा जारी करने का तथ्य सरासर गलत एवं आधारहीन हैं। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा सिविल न्यायालय में इसी भूमि के विवाद को लेकर विचाराधीन वाद में न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका कब्जा रिपोर्ट की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया। मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया गया हैं कि "नजरी नक्शे के वर्णित बिन्दु OEFGHIJKL परिसर पर विप्रार्थी दुर्गाराम का कब्जा है जिसमें नजरी नक्शे में वर्णित D की तरफ पानी का नया (ताजा) टांका बनाया हुआ हैं तथा बिन्दु E स्थान की तरफ छीणों का कमरा बनाया हुआ हैं जो रसोई घर लग रहा हैं।" इसके पडौस में ABCD प्रार्थी का कब्जा दर्शाया गया हैं, जिसके अनुसार कब्जा पूर्व में हैं। इस मौका रिपोर्ट में यह कहीं साबित नही हो रहा हैं कि आलौच्य पट्टा प्रार्थी के स्वामित्व के भूखण्ड से सम्बन्धित हैं, ऐसे में प्रस्तुत निर्णय नजीर 2010(3) डीएनजे (राज) पेज 1147 में निर्धारित यह अभिमत की ग्राम पंचायत किसी निजी स्वामित्व की भूमि का पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं रखती है, लागू नहीं होता हैं। इस प्रकार प्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा प्रकट कब्जे का अभिकथन भी प्रार्थी साबित नहीं कर पाया हैं। ग्राम पंचायत का बैठक कार्यवाही रजिस्टर अभिलेखीय तौर पर सबूत हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही सम्पन्न की गई हैं ऐसे में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय नजीर डीएनजे (राज) 1996 पेज 413 का अभिमत भी इस प्रकरण में लागू नहीं होता हैं, जिसमे निर्धारित किया गया हैं कि पंचायत का प्रस्ताव रजिस्टर में नही लिखा है तथा निलामी इश्तिहार जारी होने के कारण कार्यवाही रद्द की गई हैं। इस प्रकार प्रार्थी का यह कथन कि ग्राम पंचायत के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं, साबित नहीं होता हैं। इसके अलावा जहां तक प्रार्थी का यह कथन हैं कि आलौच्य पट्टा जारी करने के समय अप्रार्थी सं. 2 का सगा भाई ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर पदासीन था तो सार्वजनिक निलीमी के द्वारा भूमि खरीद करने में किसी प्रकार की निर्हरता होना पंचायत अधिनियम में कहीं उल्लेखित नहीं हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक निर्णय नजीर 2012(3) डीएनजे (राज) पेज 1587, आरजेटी 2019(1) पेज 348 के तथ्य एवं निर्धारित अभिमत इस प्रकरण में लागू नहीं होने से विवेच्य नही हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा इस निगरानी प्रार्थना पत्र को आलौच्य पट्टा जारी होने के करीब 17 वर्ष के असाधारण विलम्ब प्रस्तुत करने से मयाद बाहर होना प्रकट किया हैं तथा अपने कथन के समर्थन में एआईआर (ऑनलाईन) 2019 राज 61 का दृष्टांत प्रस्तुत किया है, जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा रिपोर्टेड प्रकरण तारा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य 2015 (3) डब्ल्युएलएन 197(राज) में पारित मयाद के अभिमत को समर्थन करते हुए प्रकट किया गया हैं कि बिना विलम्ब का स्पष्टीकरण दिये बिना प्रस्तुत होने वाली निगरानी याचिका कतई स्वीकार योग्य नही हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टा दिनांक 31.05.1987 के बाबत प्रार्थी अपने आधार व कथन साबित नहीं कर सका हैं एवं न ही विलम्ब के बारे में भी कोई ठोस एवं तथ्यात्मक कारण प्रकट किये हैं, जिसके अभाव में धारा 97 के तहत

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उक्त पट्टे की वैधता, नियमितता एवं पूर्णता की पहलु पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2020.01.23 11:13:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: